

## आदेश


जैसा कि विदित है कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा एक माह (31 जुलाई 2020) तक के लिए Phased Re-opening (Unlock 2) के दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसलिए जनहित में दिनांक 01.07.2020 से 31.07.2020 तक जिला नूह में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक थाना स्तर पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाये जाने अति आवश्यक हैं।

मैं, पंकज, भा0प्र0से0, जिलाधीश, नूह दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 22(I), 23(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए COVID-19 (नोवल कोरोना वायरस) महामारी की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए दिनांक 01.07.2020 से 31.07.2020 तक Phased Re-opening (Unlock 2) के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्न प्रकार से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करता हूँ :-

क्र०सं०	नाम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट	पुलिस स्टेशन का नाम
1	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ईण्डरी	रोजकामेव
2	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूह	नूह सदर
3	नायब तहसीलदार, नूह	नूह शहर
4	नायब तहसीलदार, तावडू	तावडू शहर
5	तहसीलदार, तावडू	तावडू सदर
6	नायब तहसीलदार, फिरोजपुर झिरका	फिरोजपुर झिरका
7	नायब तहसीलदार, पुन्हाना	बिछोर
8	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुन्हाना	पुन्हाना / पिनगवां
9	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फिरोजपुर झिरका	नगीना

ड्यूटी मैजिस्ट्रेट Code of Criminal Procedure 1973 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे व पूर्णतः ध्यान रखेंगे कि इस अवसर पर किसी भी किस्म की अप्रिय घटना ना घटने पाये। उक्त कार्य के दौरान किसी भी नियम/न्यायालय के आदेशों की अवहेलना ना हो। पुलिस अधीक्षक, नूह ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी मय महिला पुलिस नियुक्त करेंगे। इसके साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग के पत्र क्रमांक 3/01/2016-I.एच.सी. दिनांक 01.02.2018 के अनुसार ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को एक निजी सुरक्षा अधिकारी भी उपलब्ध करवाया जावे।


सभी उप मण्डल मैजिस्ट्रेट अपने अपने उप मण्डल में ऑवर आल इन्चार्ज होंगे।

  
जिलाधीश, नूह।

पृ० क्रमांक - 730 / एम०बी० दिनांक 01.07.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस अधीक्षक, नूह।
2. अतिरिक्त जिलाधीश नूह।
3. उप मण्डल मैजिस्ट्रेट, नूह / फिरोजपुर झिरका / पुन्हाना / तावडू।
4. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नूह।
5. सिविल सर्जन नूह एट माण्डीखेडा।
6. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी नूह।
7. सभी सम्बन्धित ड्यूटी मैजिस्ट्रेट।

  
जिलाधीश, नूह।